यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला के माह 11/2017 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2020 से 31.12.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखपापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनंद कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.11.2017 से 08.11.2017 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 11/2014 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

वर्तमान में माह 11/2017 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- डोईवाला, देहरादून।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(धनराशि रु. लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	-	168.76	166.43	10.24	09.64	-	02.93
2018-19	-	-	97.58	97.58	11.28	10.76	-	0.52
2019-20	-	-	111.33	111.33	13.45	05.84	-	08.05
2020-21 (09/20)	-	-	128.29	128.29	16.33	08.26	-	08.07

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(रु. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	शून्य		-
2019-20	-	-	शून्य		-
2020-21 (09/20)	-	-	शून्य		-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उप जिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वसिल वाकी नवीस
पेशकार उप जिलाधिकारी
रजिस्ट्रार कानूनगो

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 से 07/2019 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971, (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखपारीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -II'अ'

शून्य

भाग-दो'ब'

प्रस्तर 01:- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत विगत वर्षों में प्राप्त धनराशि रु 27.24 लाख का वितरण न होने के कारण शासन को समर्पित न किया जाना।

शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक तिथि 22 सितम्बर 2017 एवं 07 दिसम्बर 2020 के द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के रुप में स्वीकृत एंव आवंटित धनराशि को अनुदान के रुप में A/C Payee चैक/बैंक डॉफ्ट के माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जाये तथा स्वीकृत धनराशि में से जिस धनराशि का भुगतान अधिकतम 03 माह के अन्दर लाभार्थी को न हो सके, उस धनराशि का चैक/बैंक डॉफ्ट के माध्यम से आहरण–वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के पक्ष में, जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, देहरादून में देय हो, तैयार कर भुगतान न होने के कारणों का उल्लेख करते हुए शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों व बैंक पासबुक की संवीक्षा में पाया गया कि उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के अन्तरण व वितरण/आदान-प्रदान हेतु कार्यालय द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, डोईवाला में खाता संख्या- 0609002100007854 का संचालन किया जा रहा था, जो खाता तहसीलदार, डोईवाला के पदनाम से था। उक्त खाते में 23 दिसम्बर, 2020 को रु. 39,82,682/- की धनराशि जमा थी अर्थात उक्त खाते का अंतिम अवशेष था। उक्त जमा धनराशि में से रु 12,58,000/- की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष की थी, शेष धनराशि रु 27,24,682/- विगत वित्तीय वर्षों की अवितरित धनराशि थी जिसको वितरण न होने के कारण निर्धारित समयान्तराल में शासन को वापस किया जाना चाहिए था, जो लेखापरीक्षा तिथि तक वापस नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रतिउत्तर में बताया कि प्रश्नगत प्रकरण में उच्चाधिकारी से दिशा-निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो'ब'

प्रस्तर 02:- विविध देयों के वसूली प्रमाण पत्र या आर.सी. की धनराशि रु 13.55 लाख की वसूली लम्बित रहना।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी डोईवाला, देहरादून अर्थात तहसील को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित आर.सी./वसूली प्रमाण से सम्बन्धित अभिलेखों, पंजिकाओ एवं तहसील द्वारा जनपद कार्यालय को प्रेषित मासिक प्रगति विवरणों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 तक कुल प्राप्त आर.सी. की धनराशि के सापेक्ष रु 13,55,320/आर.सी. की धनराशि सम्बन्धित बकायेदारों से वसूली हेतु लम्बित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि वसूली हेतु लम्बित धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली करने का प्रयास किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
53/2017-18	शून्य	01,02, व 03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	आभ्युक्ति
53/2017-18	प्रस्तर 01- रु. 03.16 लाख का अनियमित क्रय।	अनुपालन आख्या पृथक से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	-	
	प्रस्तर 02- वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि रु. 10.15 लाख की वसूली न किया जाना।	तदैव		
	प्रस्तर 03- आयुध लाईसेंस फीस के न्युनोरापण से रु 58810 की राजस्व क्षति	तदैव		

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखपरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

1- सतत् अनियमितायेः- शून्य

2- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्रीमती कुश्म चौहान	उप जिलाधिकारी	28.06.2017	16.02.2019
2	श्री लक्ष्मी राज चौहान	उप जिलाधिकारी	16.02.2019	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उप जिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/AMG-III को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III